न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

अनवान

श्यामाराम बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र सं. – 06/24 2024/70

प्रकरण अन्तर्गत धारा– 136 एल.आर.एक्ट

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
26.03.2024	प्रार्थी **श्यामाराम** पुत्र श्री रूघाराम जाति नायक निवासी 12 एच हिशामकी तहसील अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि चक 14 एच का मु.नं. 44 प.नं. 22/43 का 6.325 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा संयुक्त खाता में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में से 1/20 हिस्सा यानि 0.316 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी रकबा प्रार्थी को अपनी माता भंवरीदेवी पत्नी रूघाराम जाति नायक निवासी 12 एच तहसील अनूपगढ़ से वसीयत द्वारा प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम श्यामाराम पुत्र श्री रूघाराम है, जबकि प्रार्थी की माता के द्वारा वसीयत की गई उस समय परिवार के सदस्यों ने प्रार्थी का नाम सांवलाराम दर्ज करवा दिया क्योंकि प्रार्थी को घर पर इसी नाम से पुकारते थे। प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांक : भू.अ./2023/1841 दिनांक : 13.06.2023 द्वारा रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट अनुसार श्यामाराम व सांवलाराम दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है उक्त सांवलाराम नाम वसीयत अनुसार प्रविष्ट हुआ है। वसीयतनामा में प्रार्थी का नाम सांवलाराम लिखा था तथा उसी अनुरूप आदेशानुसार इन्तकाल दर्ज किये जाने के बाद जमाबंदी में उक्त प्रविष्टि की गई थी। इसी आधार पर प्रार्थी अपना नाम सांवलाराम के स्थान पर श्यामाराम की दुरूस्ती करवाना चाहता है। जमाबंदी अनुसार पूर्व में दर्ज श्यामाराम पुत्र रूघाराम 1/5 हिस्सा व वसीयत अनुसार दर्ज सांवलाराम पुत्र रूघाराम 1/20 हिस्सा दोनों हिस्सा एक ही व्यक्ति का है। अतः प्रार्थी की उक्तानुसार दुरूस्ती की जानी उचित है। **– :: आदेश :: –** तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **चक 14 एच का मु.नं. 44 प.नं. 22/43 का 6.325 हैक्टर** कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा संयुक्त खाता में दर्ज श्यामाराम पुत्र रूघाराम 1/5 हिस्सा व वसीयत अनुसार दर्ज सांवलाराम पुत्र रूघाराम 1/20 हिस्सा दोनों हिस्सा एक ही व्यक्ति का है। अतः **सांवलाराम पुत्र रूघाराम के स्थान पर श्यामाराम पुत्र रूघाराम** दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिए [illegible] शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को [illegible] प्रार्थी प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसले में शामिल होकर दाखिल दफ्तर हो। (अजीत कुमार गोदारा) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.05.02 13:11:22 IST
Reason: SelfAttested